न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 10/2018

दायर दिनाँक 08.01.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. रतनीदेवी पत्नी स्वर्गीय भँवरलाल, जाति–गुर्जर, उम्र–50साल, निवासी–जैवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुन्दरदेवी पत्नी पीथाराम, 2. पीथाराम पुत्र खींवाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–सिंगरावटकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. भगवान पाण्डे पुत्र रामेश्वरलाल, 4. राधेश्याम पुत्र रामेश्वरलाल, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–जैवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. सीतादेवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी सोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–चितावा, तहसील–कुचामनसिटी, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. दुर्गा पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी गजानन्द, जाति–ब्राह्मण, निवासी–बाडलवास, तहसील–धोद, जिला–सीकर, राजस्थान, 7. सन्तोषदेवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी धनराज, जाति–ब्राह्मण, निवासी–पुरोहितों का बास, जायल, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. बसन्ती पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी विक्रम, जाति–ब्राह्मण, निवासी–कृषिमण्डी के पीछे, सुरेन्द्रनगर, कुचामनसिटी, तहसील–कुचामनसिटी, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. देवराज पुत्र भँवराराम उर्फ भँवरलाल, जाति–गुर्जर, निवासी–जैवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. राजू पुत्री भँवराराम उर्फ भँवरलाल पत्नी पुखराज, जाति–गुर्जर, निवासी–मुण्डी, तहसील–जायल,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

		जिला–नागौर, राजस्थान, 11. सुवादेवी पुत्री भँवरराम उर्फ भँवरलाल पत्नी हनुमानराम, जाति–गुर्जर, निवासी–आगुन्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. सचिन पुत्र भँवरराम उर्फ भँवरलाल, जाति–गुर्जर, निवासी–जैवलिया बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हाकमअलीखाँ व श्री विकास ठोलिया, वकुलाय, वादी।
2. श्री विक्रम डुडी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 08 की ओर से।
3. श्री कमलकिशोर मोठ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 की ओर से।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक **27.12.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम जैवलियाबास की वादी स्थाई निवासी है तथा वादी के पति भँवरराम उर्फ भँवरलाल का स्वर्गवास दिनाँक 18.11.1999 को हो चुका है।

वादी की माता भँवरीदेवी पुत्री गंगाराम पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से खेत खसरा नम्बर 126 रकबा 07.12 बीघा वाकै सरहद जैवलियाबास में अवस्थित था। नकल सम्वत् 2046–2053 पेश है। वादी के पति भँवरराम उर्फ भँवरलाल ने दिनाँक 30.04.1990 को जरिये इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 03 ता 08 की माता भँवरीदेवी से खेत खसरा नम्बर 126 रकबा 07.12 बीघा में से हिस्सा 1/2 बीघा भूमि क्रय कर उसमें मकान निर्माण कर उसमें वाद मय परिवार के निवास करते हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने आपसी मिलीभगत करके उपर्युक्त सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 07.12 बीघा को प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 08 की माता स्वर्गीय भँवरीदेवी से जरिये विक्रय अपने नाम करवा ली थी। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को यह जानकारी थी कि खसरा नम्बर 126 रकबा 07.12 बीघा भूमि में से 1/2 भाग भूमि वादी के पति स्वर्गीय भँवरराम उर्फ भँवरलाल को जरिये इकरारनामा दिनाँक 30.04.1990 को विक्रय की हुई है। वादग्रस्त भूमि पर वादी के मकानात् बने हुए हैं तथा उनमें वादी का परिवार रह रहा है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 10/2018
दायर दिनाँक 08.01.2018, निर्णय दिनाँक 27.12.2018
रतनीदेवी बनाम् सुन्दरदेवी, वगैरा।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 परिचित थे कि वादवर्णित भूमि पर वादी के पति का कब्जा वक्त खरीद से रहा है तथा प्रतिवादी प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त विक्रय–पत्र निष्पादित करवाने के पश्चात भी आज दिन तक कब्जा निर्बाध रूप से वादी का ही चला आ रहा है। इस प्रकार वादी के प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर उक्त भूमि की मालिक है।

वादी ने नकल प्राप्त की तो पता चला कि उक्त खसरा नम्बर 126 रकबा 07.12 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को विक्रय कर दी लिहाजा वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 का हित वादी के समान ही है तथा सकुनत पर हाजिर नहीं होने से बतौर प्रर्फोमा प्रतिवादी बनाया गया है।

प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 08 भँवरी पत्नी गंगाराम पत्नी रामेश्वर के विधिक वारिसान् होने के कारण पक्षकारा बनाया गया है।
प्रार्थना वादी है कि,

ग्राम जैवलियाबास में खसरा नम्बर 126 रकबा 07.12 बीघा भूमि में से 1/2 बीघा (आधा बीघा) यानि रकबा 0.10 बीघा भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 के नाम से घोषित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 13 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 12 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश हुआ।

वाद के समर्थन में वादी ने, प्रदर्श–1 जमाबन्दी ग्राम जेवललियाबास सम्वत् 2036–40 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–2 जमाबन्दी ग्राम जेवललियाबास सम्वत् 2070–73 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–3 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी भँवरलाल के बिजली के बिल की छायाप्रति, प्रदर्श–4 मकानात् की फोटो, प्रदर्श–5/1 भँवराराम का मृत्य प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, प्रदर्श–6/1 इकरारनामा की छायाप्रति, पेश की।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वादी रतनीदेवी ने शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश किया। वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 12 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश हो चुका है तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है तथा वादी अनुतोष मुताबिक दावा डिक्री किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। सरहद मौजा जेवलियाबास में खसरा नम्बर 126 रकबा 07.12 बीघा में से रकबा 0.10 बीघा भूमि को वादी के पति ने प्रतिवादीगण संख्या 03 ता

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

08 की माता भँवरीदेवी से क्रय किया। उक्त खरीदसुदा भूमि पर वादी के मकानात् बने हुए हैं जिनमें वादी व वादी का परिवार रहता है। उक्त भूमि रकबा 0.10 बीघा भूमि की खातेदारी वाद में वादी चाहती है। उक्त भूमि को वादी के पति ने खरीद की है। चुंकि उक्त भूमि वादीनी ने दिनांक 30.04.1990 को जरिये इकरारनामा खरीद की है तथा सन् 1996 में भंवरीदेवी ने उक्त जमीन प्रतिवादी सं0 01 व 02 को जरिये रजिस्ट्री बैचान कर दी। जबकि वादीनी ने बैचाण होने से पूर्व ही उक्त जायगा पर अपना रहवासी मकान बनाकर रहने लग गई। वादिनी ने इकरारनामा के आधार पर उक्त जायगा खरीद की है जिससे वादिनी का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है। वाद में इकबालिया जवाब पेश हो चुका है जिस कारण वाद वादी पुष्ट होता है। ऐसी स्थिति में, सरहद मौजा जेवलियाबास में खसरा नम्बर 126 रकबा 07.12 बीघा भूमि में से रकबा 0.10 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के हक में घोषित किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावा डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद मौजा जैवलियाबास में खसरा नम्बर 126 रकबा 07.12 बीघा भूमि में से रकबा 0.10 बीघा भूमि का वादी रतनीदेवी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। तहसीलदार डीडवाना 0.10 बीघा भूमि का नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

वादी व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे की खातेदारी व हिस्से की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **27.12.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **10/2018** दायर दिनाँक **08.01.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रतनीदेवी पत्नी स्वर्गीय भँवरलाल, जाति–गुर्जर, उम्र–50साल, निवासी–जैवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुन्दरदेवी पत्नी पीथाराम, 2. पीथाराम पुत्र खींवाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–सिंगरावटकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. भगवान पाण्डे पुत्र रामेश्वरलाल, 4. राधेश्याम पुत्र रामेश्वरलाल, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–जैवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. सीतादेवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी सोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–चितावा, तहसील–कुचामनसिटी, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. दुर्गा पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी गजानन्द, जाति–ब्राह्मण, निवासी–बाडलवास, तहसील–धोद, जिला–सीकर, राजस्थान, 7. सन्तोषदेवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी धनराज, जाति–ब्राह्मण, निवासी–पुरोहितों का बास, जायल, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. बसन्ती पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी विक्रम, जाति–ब्राह्मण, निवासी–कृषिमण्डी के पीछे, सुरेन्द्रनगर, कुचामनसिटी, तहसील–कुचामनसिटी, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. देवराज पुत्र भँवराराम उर्फ भँवरलाल, जाति–गुर्जर, निवासी–जैवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. राजू पुत्री भँवराराम उर्फ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		भँवरलाल पत्नी पुखराज, जाति–गुर्जर, निवासी–मुण्डी, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. सुवादेवी पुत्री भँवराराम उर्फ भँवरलाल पत्नी हनुमानराम, जाति–गुर्जर, निवासी–आगुन्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. सचिन पुत्र भँवराराम उर्फ भँवरलाल, जाति–गुर्जर, निवासी–जैवलिया बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **27.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हाकमअलीखाँ व श्री विकास ठोलिया, वकुलाय, वादी व श्री विक्रम डुडी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 08 की ओर से तथा श्री कमलकिशोर मोठ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद मौजा जैवलियाबास में खसरा नम्बर 126 रकबा 07.12 बीघा भूमि में से रकबा 0.10 बीघा भूमि का वादी रतनीदेवी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। तहसीलदार डीडवाना 0.10 बीघा भूमि का नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

वादी व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे की खातेदारी व हिस्से की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................
–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **27.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	—		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner